प्रैस विज्ञप्ति

Toxics Link
for a toxics-free world

क्या राष्ट्रीय पर्यावरण नीति प्रारूप भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर है?

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति प्रारूप (रा.प.नी.प्रा.) 15 अगस्त, 2004 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वैबसाइट, पर प्रकाशित की गई। लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए 30 अक्टूबर, 2004 की अंतिम तारीख घोषित की गई। रा.प.नी.प्रा. एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है–खासकर क्योंकि इसमें पर्यावरण व विकास के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण की आख्या है।

लेकिन देश के विभिन्नप्रांतों से जन संगठनों ने रा.प.नी.प्रा. बनाने की प्रक्रिया व उसके तत्वों के विषयमें अपनी असहमति ज़ाहिर की है :

▲ मंत्रालय के दावों के विरूद्ध, यह प्रक्रिया अभी तक गैर पारदर्शी व गैर जन तांत्रिक रही है। विभिन्न जानी-मानी गैर सरकारी संस्थाएं जो पर्यावर्णीय मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और जन समुदाय जो इन संसाधनों पर निर्भर हैं– वे इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहे और उनकी राय इसमें शामिल नहीं है।

वर्तमान प्रक्रिया में इन जन समूहों की सहभागिता के लिए कोई रास्ता भी उपलब्ध नहीं है–क्योंकि यह प्रारूप केवल मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है और वह भी केवल अंग्रेज़ी में! लोगों की सहभागिता के विषय में अभी तक प्रारूप में कोई जगह भी नहीं दिखाई देती। इसके विरूद्ध निवेश व पूंजीपति समुदाय और प्रशासन की राय इसमें बखूबी शामिल है।

▲ इस प्रारूप में गंभीर आंतरिक मतभेद हैं–

लघु उद्देशीय वित्तीय मामलों के पक्ष में अहम पर्यावर्णीय मुद्दों को अनदेखा किया गया है। इसके अलावा, क्रियान्वयन के लिए दिए गए सुझाव मंत्रालय के अपर्याप्त व धुंधले दृष्टिकोण को झलकाते हैं।

यह प्रारूप वित्तीय विकास पर अत्यधिक ज़ोर देते हुए प्रस्तावित करती है कि हमारे पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं केवल उपभोक्तावाद व संसाधनों के बाज़ारीकरण से ही हल हो सकते हैं। यह तथ्य इससे भी ज़ाहिर होता है कि प्रस्तावित समीक्षा के लिए वित्तीय मामलों की कैबिनेट कमेटी को ही ज़िम्मेवारी दी गई है– बजाए इसके कि किसी पर्यावर्णीय संस्था को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाती।

यह प्रारूप पर्यावर्णीय मामलों में कमज़ोर संचालन और गलत आंकलन के लिए जगह छोड़ता है और इसका 'ऐन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट असैसमेंट' व 'कोस्टल रैगुलेशन ज़ोन' (सी.आर.ज़ैड) जैसे अहम कानूनी प्रक्रियाओं पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

यह प्रारूप तकनीकी दृष्टि से भी कमज़ोर है जिसकी वज़ह से संरक्षण विकल्पों व आधुनिकतम तकनीकी विस्तार पीछे छूट जाते हैं।

उपरोक्त समस्याओं के चलते, हम इस प्रारूप को अपनाने से इंकार करते हैं और यह मांग रखते हैं कि भारत सरकार इस प्रक्रिया को पुनः चलाए, जिसमें कि लोक संस्थाएं व संगठन शुरू से शामिल हों।

प्रारूप में मौजूद कुछ चिंताजनक तथ्यों पर नीचे चर्चा की जा रही है:

- देश के पर्यावरणीय संकट का विश्लेषण तो विस्तृत है पर सुझायी गई कार्य प्रणाली का इस विश्लेषण से रिश्ता कमज़ोर।

- 'एन्वायरनमेन्टल इम्पैक्ट असैसमेंट (ई.आई.ए.) प्रक्रिया को विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब का मुख्य कारण माना गया है – इस बात को नज़रंदाज करते हुए कि ई. आई.ए. की जानकारी न होना एक गंभीर समस्या है।

- पर्यावरण पर विकास की असतत् अवधारणाओं के दुष्प्रभाव की इसमें कोई चर्चा नहीं है।

- रा.प.नी.प्रा. पारिस्थितिकी के आधारभूत मूल्यों पर केन्द्रित न होते हुए, पर्यावरण को वित्तीय व आर्थिक तराज़ू में तोलने की कोशिश है।

- रा.प.नी.प्रा. का मौजूदा दृष्टिकोण पर्यावरण के साथ हमारे पारम्परिक संबंधों की अवहेलना करता है।

  साथ ही भारत सरकार, जो आज तक पारिस्थितिकी को अपने आप में अमूल्य मानती आयी है, आज अपने ही दृष्टिकोण को अनदेखा करती दिख रही है।

- रा.प.नी.प्रा. में सुझाव दिया गया है कि पर्यावरण संबंधी क्रियाओं व योजनाओं में आपराधिक व नागरिक दायित्व का 'उचित' समावेश होना चाहिए। अभी तक सुझावित ई.आई.ए. व सी.आर. ज़ैड प्रक्रियाओं को लचीला बनाते बदलाव यह इशारा करते हैं कि इसका परिणाम भी पर्यावरण की अपेक्षा निवेश समुदाय व पूंजीपतियों के हित में ही होगा।

  रा.प.नी.प्रा. प्रक्रिया में मंत्रालय द्वारा अपनायी गई गोपनीयता व मनमानी की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह पूछना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय महत्ता की यह नीति इतनी हड़बड़ाहट में क्यों तैयार की जा रही है?

  मंत्रालय पर ऐसा कौन-सा दबाव है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी नज़र अंदाज़ किया जा सकता है? पर्यावरण जैसे व्यापक मुद्दे पर संसद, राजकीय विधानसभाओं व पंचायती राज व्यवस्था को अनदेखा कर केवल वित्तीय मामलों की कैबिनैट कमेटी के हाथ में ही क्यों ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है?

हमारे देश को एक सुदृढ़ व दूरदर्शी पर्यावरण नीति की सख़्त आवश्यकता है। ऐसी नीति जो

पर्यावरण को देश की सभी विकास योजनाओं व प्रक्रियाओं में केन्द्रित रूप से स्थापित करे। किंतु वर्तमान रा.प.नी.प्रा. ''हरित मुखौटे'' के पीछे छिपी वास्तव में पारिस्थितिकीय खंडन से जुड़ी विकास प्रक्रियाओं को और बढ़ावा देती जान पड़ती है। इस प्रारूप का संपूर्ण परिपेक्ष व क्रियान्वयन की प्रणाली हमेशा से चले आ रहे व्यापारिक दृष्टिकोण से लैस है–और इससे राष्ट्रीय पर्यावर्णीय संकट या उससे निरंतर प्रभावित होती हमारी पारिस्थितिकीय जैव विविधता व लाखों जन समुदायों को शायद ही संरक्षण मिल सकेगा।

पर्यावरण मंत्रालय को भेजी 'ओपन लेटर' के 96 हस्ताक्षर कर्ताओं की ओर से :

सुमन सहाय – **जीन कैमपेन**

रवि अग्रवाल – **टॉक्सिक लिन्क्स**

लियो सलदाना – **एन्वायरनमेन्ट सपोर्ट ग्रूप**

बॉसुरी तनेजा – **कल्पवृक्ष**

रोहित प्रजापति – **पर्यावरण सुरक्षा समिति**

Toxics Link
for a toxics-free world

अधिक जानकारी के लिए संम्पर्क करें :

टॉक्सिक लिन्क्स – H 2, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110014

दूरभाष : 011-24328006; ईमेल : ravig1@toxicslink.org